रा०सं०–143 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 15 मई, 2009
बैशाख 25, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा-3-313/दस-2009–301(9)-2003
लखनऊ, 15 मई, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आये सभी नये कर्मचारियों के लिए नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें कर्मचारियों के वेतन तथा मँहगाई भत्ते के योग के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान किये जाने तथा समतुल्य धनराशि भारत सरकार द्वारा अदा किये जाने का प्राविधान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा भी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से भारत सरकार की उक्त योजना के आधार पर "नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना" दिनॉक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कम्रचारियों के लिए अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005–301(9)-2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू की गयी है तथा इसी संबंध में निर्धारित अंशदान की कटौती तथा कर्मचारियों के इडेक्स नम्बर आदि आबंटित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या-3-1051/दस-2008–301(9)-2003, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा निर्गत किये गये है।

2–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2008 के अनुपालन में निदेशक, पेंशन द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के इण्डेक्स नं० आबंटित किये जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। किन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि के लेखे के रख–रखाव तथा धनराशि के विनियोजन के बारे सी०आर०ए०, ट्रस्टी बैंक एवं फण्ड मैनेजर की नियुक्तियॉ किया जाना विचाराधीन था।

3–भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2004 अथवा उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अध्यादेश संख्या–8, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) का अन्तरिम रूप से गठन किया गया था। जिसे भारत सरकार वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण नियंत्रण के अधीन असाधारण गजट संख्या–406, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 द्वारा पुनः जारी करते हुए पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) अन्तरिम रूप से गठित किया गया है। पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पी०एफ०आर०डी०ए०) द्वारा नव परिभाषित

अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल सिकयोरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०) को सी०आर०ए०, बैंक आफ इण्डिया, को ट्रस्टी बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को निधि प्रबन्धक (फण्ड मैनेजर) नियुक्त किया गया है। इन समस्त ईकाइयों के पर्यवेक्षण हेतु पी०एफ०आर०डी०ए० द्वारा एन०पी०एस० ट्रस्ट का भी गठन किया गया है। सी०आर०ए०, ट्रस्टी बैंक एवं फण्ड मैनेजर के मुख्य कार्य निम्नवत् होंगे :–

CRA का कार्य

(i) अभिदाता (Subscriber) एवं कार्यदायी संस्थाओं का CRA सिस्टम में पंजीकरण करना।

(ii) अभिदाता को एकल खाता संख्या आबंटित करना।

(iii) अंशदान का लेखाजोखा रखना।

(iv) अभिदाता को खाते के संबंध में लेखा पर्ची जारी करना।

(v) अभिदाता एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान करना।

(vi) अभिदाता की समस्याओं का समाधान करना।

(vii) PFRDA को सामयिक रिपोर्ट देना।

ट्रस्टी बैंक (Trustee Bank) का कार्य

(i) नोडल आफिस से पेंशन निधि प्राप्त करना।

(ii) CRA के निर्देश पर फण्ड मैनेजर्स को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

(iii) आहरित पेंशन निधि की धनराशि CRA के निर्देश पर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स को उपलब्ध कराना।

(iv) अभिदाता को भुगतान किए जाने हेतु आहरण खाते (Withdrawl Account) में पेंशन निधि की धनराशि को स्थानान्तरित करना।

(v) पेंशन निधि लेखे के मिलान का विवरण दर्ज करना।

पेंशन निधि प्रबन्धक का कार्य

(i) PFRDA से विभिन्न योजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसका पंजीकरण CRA से कराना।

(ii) अभिदाता को पेंशन निधि योजना (PFS) के संबंध में प्रस्ताव देना।

(iii) ट्रस्टी बैंक को/से पेंशन निधि की धनराशि जमा/प्राप्त करना।

(iv) अभिदाता की पेशंन निधि को अभिदाता को प्रस्तावित योजना में जमा कर निधि का प्रबन्धन करना।

(v) दैनिक आधार पर नेट एसेट वेल्यू (NAV) की सूचना उपलब्ध कराना।

(vi) PFRDA को प्रगति आख्या प्रेषित करना।

4–उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार द्वारा (पी०एफ०आर०डी०ए०) के माध्यम से की गयी उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर राज्य सरकार में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन हेतु (पी०एफ०आर०डी०ए०) के माध्यम से एन०एस०डी०एल० को सी०आर०ए०, बैंक आफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक तथा एस०बी०आई०, यू०टी०आई० एवं एल०आई०सी० को निधि नियुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्याः सा–3–313(1)/दस–209–301(9)–2003, तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

4–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

6–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

7–निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

8–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

9–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आसय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रातियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 122 राजपत्र (267)–2009–586 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 9 सा०वित्त (268)–2009–10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।